ई–मेल

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–1फ/विशेषज्ञ/पुनर्योजन विस्तार/2022–23/ लखनऊः दिनांक 05/05/2022

–:: आदेश ::–

विशेषज्ञ विस्तार

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–157/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या–1961/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 18.06.2014, संख्या–965/सेक–2–पॉच–16–7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या–1858/सेक–2–पांच–17–7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या–2996/सेक–2–पांच–17–7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञों को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन/विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।**

पुनर्योजित चिकित्सकों के सेवाविस्तार हेतु उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा परफार्मेस रिर्पोट के आधार पर सेवा विस्तार की संस्तुति की गयी है। नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें, कि सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में नियमित रूप से चिकित्सालय में उपस्थित होकर शासकीय कार्य समय एवं लगन के साथ सम्पादित कर रहा है। किसी भी प्रकार का विचलन पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व नियंत्रक अधिकारी का होगा भ्रम की स्थिति में महानिदेशालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं।

(1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भाँति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

(9) सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

(10) सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

(11) यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

(12) पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	Specialist	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Ashutosh Upadhyay	7897	01-01-58	31-12-19	Eye Surgeon	SSPG Hospital Varanasi
2.	Dr. Raj Kumar Gupta	5523	02-01-58	31-01-20	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Mau
3.	Dr. Khursheed Ahmad Siddiqui	6394	15-01-59	31-01-21	Pathologist	RLB Hospital Lucknow
4.	Dr. Dharm Bir Prasad	6980	01-01-58	31-12-19	Ophthalmologist	Lok Bandhu Raj Narayan Hospital Lucknow
5.	Dr. Jai Prakash Bjpai	6564	01-08-57	31-07-19	Medicine Specialist	District Male Hospital Unnao
6.	Dr. Awadhesh Kumar Singh	6676	01-07-58	30-06-20	Surgeon	District Male Hospital Sant Kabir Nagar
7.	Dr. Arun Kumar Pandey	5513	01-01-59	31-12-20	Surgeon	District Male Hospital Ghazipur
8.	Dr. Rakesh Kumar Dhall	5870	28-07-58	31-07-20	ENT Specialist	Police Hospital Moradabad
9.	Dr. Shiv Shankar Pandey	7161	12-12-58	31-12-20	Anesthetist	District Male Hospital Mirzapur
10.	Dr. Uma Kant	4946	25-12-57	31-12-19	Paediatrician	100 Bed Hospital Sada Mau Lucknow
11.	Dr. Dhierendra Vikram Mishra	5776KHA	16-09-57	30-09-19	Public Health Specialist	100 Bed Hospital Sada Mau Lucknow
12.	Dr. Rajendra Prasad Shakya	7490	29-05-57	31-05-19	Ophthalmologist	UHM Hospital Kanpur Nagar
13.	Dr. Lalita Kerketta	11674	20-10-57	31-10-19	Gynecologist	District Female Hospital Gonda
14.	Dr. Shri Kant Bajpai	10249	15-12-58	31-12-20	Pathologist	District Male Hospital Banda
15.	Dr. Javed Ahmad Khan	9888	30-06-58	30-06-20	Pathologist	Dr. SPM (Civil) Hospital Lucknow
16.	Dr. Awadhesh Prakash Sahu	5589	01-07-57	30-06-17	Eye Surgeon	Under CMO Kaushambi

17.	Dr. Narendra Singh	8063	01-07-57	30-06-19	Cardiology Specialist	Dr. SPM (Civil) Hospital Lucknow
18.	Dr. Krishna Yadav	7779	15-01-59	31-01-21	Gynecologist	Distirct Female Hospital Gautam Buddha Nagar
19.	Dr. Hargovind Singh	6018	01-01-58	31-12-19	Chest Disease Specialist	Balrampur Hospital Lucknow
20.	Dr. Pankaj Srivastava	5838	13-12-57	31-12-19	Medicine Specialist	District Male Hospital Kanpur Dehat
21.	Dr. Ashok Kumar Singh	6492	30-12-57	31-12-19	Cardiology Specialist	BRD Combined Hospital Lucknow
22.	Dr. Shri Kant Pandey	5865	28-10-57	31-10-19	Orthopaedics Specialist	Dr. SPM (CiviL) Hospital Lucknow
23.	Dr. Ram Asrey	8490	15-01-59	31-01-21	Anesthetist	District Male Hospital Sant Kabir Nagar
24.	Dr. Rambriksh Ram	6945	03-09-57	30-09-19	Anesthetist	District Male Hospital Siddharthnagar
25.	Dr. Ashok Kumar Singh	5706	15-10-57	31-10-19	Skin And Venereal Disease Specialist	District Male Hospital Kanpur Dehat
26.	Dr. Raj Kumar Naiyer	6234	10-11-57	30-11-19	Eye Surgeon	Balrampur Hospital Lucknow
27.	Dr. Sharad Kumar Bhargava	9544	09-10-57	31-10-19	Radiologist	District Male Hospital Jhansi
28.	Dr. Bhagawati Prasad	7076	01-05-58	30-04-20	Ophthalmologist	District Male Hospital Banda
29.	Dr. Mahendra Kumar	8368	01-03-58	29-02-20	Eye Surgeon	District Male Hospital Mizapur
30.	Dr. Vinay Kumar Pandey	5901	16-07-57	31-07-19	Paediatrician	Under CMO Sant Ravidas Nagar
31.	Dr. Piyush Rastogi	8996	13-11-58	30-11-20	Radiologist	District Male Hospital Budaun
32.	Dr. Savita Vashisht	6388	09-04-58	30-04-20	Gynecologist	District Female Hospital Meerut
33.	Dr. Chandra Shekhar Azad	9659	08-12-58	31-12-20	Anesthetist	District Male Hospital Gorakhpur
34.	Dr. Ram Kumar Jaiswal	8904	15-12-58	31-12-20	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Jaunpur
35.	Dr. Prem Shankar Mishra	6607	27-12-57	31-12-19	Medicine Specialist	Pt. DDU Hospital Varanasi
36.	Dr. Himmat Singh Danu	4991	29-06-57	30-06-19	Epidemiologist-Medico	Under CMO Gautam Buddha Nagar
37.	Dr. Arun Kumar	9373	02-01-58	31-01-20	Radiologist	District Male Hospital Kaushambi
38.	Dr. Ramesh Singh Kushwaha	8792	05-10-57	31-10-19	ENT Specialist	District Male Hospital Jaunpur
39.	Dr. Rakesh Pradesh	7898	10-01-58	31-01-20	Chest Disease Specialist	District Male Hospital Ayodhya
40.	Dr. Sumer Singh	10151	01-01-59	31-12-20	Urology Specialist	Balrampur Hospital Lucknow
41.	Dr. Sunil Kumar	5506	01-12-57	30-11-19	TB Chest Disease Specialist	District Male Hospital Gautam Buddha Nagar
42.	Dr. Mulayam Singh	6913	20-08-57	31-08-19	Anesthetist	UHM Hospital Kanpur Nagar
43.	Dr. Kapil Deo Prasad	7510	13-07-58	31-07-20	Paediatrician	District Male Hospital Gorakhpur
44.	Dr. Reyaz Ahmad	8542	15-01-58	31-01-20	Paediatrician	Pt.DDU Hospital Varanasi

45.	Dr. Ashok Kumar Pandey	9065	10-01-59	31-01-21	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Mirzapur
46.	Dr. Yatish Kumar	11574	01-10-58	30-09-20	Anesthetist	District Male Hospital Bagpat
47.	Dr. Ramesh Chandra Vyas	7484	05-01-59	31-01-21	Anesthetist	District Combined Hospital Hatras
48.	Dr. Ashok Shukla	6611	14-11-58	30-11-20	TB Chest Disease Specialist	District Male Hospital Gautam Buddha Nagar
49.	Dr. Rajendra Pratap Rai	6704	01-02-59	31-01-21	Paediatrician	District Male Hospital Maharajganj
50.	Dr. Ghanshyam Singh	8470	01-09-57	31-08-19	Eye Surgeon	TB Sapru Hospital PRAYAGRAJ
51.	Dr. Kamendra Pal Singh	8403	10-12-57	31-12-19	Paediatrician	TB Hospital Thakurganj Lucknow
52.	Dr. Prabodh Kumar Gupta	9385	28-10-57	31-10-19	Paediatrician	District Male Hospital Etawah
53.	Dr. Saiba Siddiqui	7377	29-12-57	31-12-19	Gynecologist	District Female Hospital Gorakhpur

For Selected Candidate:-

a. It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.

b. It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.

c. The time for joining will be 15 days within date of appointment.

(वेद ब्रत सिंह)
महानिदेशक

संख्या–1फ/विशेषज्ञ/पुनर्योजन विस्तार/2022–23/ 1578(11) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
4– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5– महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नरायन रोड, उ0प्र0, लखनऊ।
6– सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ0प्र0।
7– सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
8– सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– चिकित्सा अनुभाग–2/3, उत्तर प्रदेश, शासन।
10– संबंधित चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर अपर निदेशक (प्रशासन) को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
11– गार्ड फाइल।

5/5/22
अपर निदेशक (प्रशासन)